शिक्षा का अधिकार कानून 2009

डॉ0 उदय शंकर सत्यार्थी

शिक्षा मानव विकास का आधार स्तंभ है। उत्तम और समग्र शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है तथा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने, उत्पादन और रोजगार के लिए अवसर पैदा करती है। निःसंदेह शिक्षा सामाजिक परिवर्त्तन को हवा देती है और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को एक अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में शत–प्रतिशत लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत 6 से 14 वर्षो के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है।